

राजस्थान-सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक प. 3(9)उप/2007

जयपुर, दिनांक : 29/09/14

अधिसूचना

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम संख्या 27 सन् 1954) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-4 (11) राज/उप/81 जयपुर दिनांक 14.12.1963 व दिनांक 23.2.1984 से कॉलोनी क्षेत्र में से निम्न क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में एतद्वारा प्रत्याहृत (Withdraw) करती है।

अनुसूची

क्र. सं.	नाम परियोजना मय प्रकार (वृहद/मध्यम/ लघु) जो भी लागू हो।	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	चक नं०	मुरब्बा न०/खसरा नं. जिनमें पानी नहीं पहुंचता है तथा भविष्य में भी पानी पहुंचने की सम्भावना नहीं है; उपनिवेशन घोषणा से वंचित रहेंगे।	रकबा बीघा / हेक्टेयर जो भी लागू हो।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	सियाम्बर	—	1 से 851 तक, 861 से 862 तक, 902 से 927 तक, 962 से 964 तक, 974, 976, 979 से 980 तक, 983, 985, 988 से 991 तक, 994 से 1004 तक, 1006 से 1007 तक, 1011, 1013 से 1015 तक	85161 बीघा 18 बिस्वा
2	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	मारख की ढाणी (ग्राम सियाम्बर से नवसृजित)	—	852 से 860 तक, 863 से 901 तक, 928 से 961 तक, 965 से 973 तक, 975, 977 से 978 तक, 981 से 982 तक, 984, 986 से 987 तक, 992 से 993 तक, 1005, 1008 से 1010 तक, 1016 से 1017 तक	7706 बीघा 19 बिस्वा
3.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	म्याजलार	—	1 से 871 तक, 883 से 886 तक, 899 से 1038 तक, 1042 से 1043 तक, 1045 से 1047 तक, 1063, 1157 से 1196 तक, 1204 से 1301 तक, 1313 से 1314 तक, 1323 से 1324 तक, 1327 से 1401 तक, 1403 से 1474 तक, 1483 से 1486 तक, 1495 से 1505 तक, 1508 से 1509 तक, 1623 से 1643 तक, 1646 से 1654 तक, 1663 से 1795 तक, 1797 से 1798 तक, 1838, 1896 से 1899 तक, 1939 से 1950 तक, 1955 से 2793 तक, 2795 से 2828 तक, 2830 से 2906 तक, 2908 से 2924 तक, 2926 से 2941 तक, 2943 से 2944 तक, 2946 से 2952 तक, 2955 से 2964 तक, 2966 से 2971 तक, 2973, 2975 से 2980 तक	215862 बीघा 11 बिस्वा
4.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	बींजराज का तला (ग्राम म्याजलार से नवसृजित)	—	1039 से 1041 तक, 1044, 1048 से 1062 तक, 1064 से 1156 तक, 1197 से 1203 तक, 1302 से 1312 तक, 1315 से 1322 तक, 1325 से 1326 तक, 1402, 2829, 2794, 2974, 2925	10884 बीघा 13 बिस्वा
5.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	केसर सिंह का तला (ग्राम म्याजलार से नवसृजित)	—	1563 से 1567 तक, 1571 से 1575 तक, 1580 से 1598 तक, 1796, 1799 से 1836 तक, 1838/1, 1839 से 1855 तक, 1860 से 1863 तक, 2972	9974 बीघा 17 बिस्वा

6.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	रतन महाराज का तला (ग्राम म्याजलार से नवसृजित)	—	1538 से 1541 तक, 1552 से 1554 तक, 1568 से 1570 तक, 1837, 1856 से 1859 तक, 1864 से 1895 तक, 1900 से 1938 तक, 1951 से 1954 तक, 2954, 2942, 2953, 2965, 2945	9436 बीघा 09 बिस्वा
7	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	वीर सिंह की ढाणी (ग्राम म्याजलार से नवसृजित)	—	672 से 682 तक, 687 से 898 तक, 1475 से 1482 तक, 1487 से 1494 तक, 1506 से 1507 तक, 1510 से 1537 तक, 1542 से 1551 तक, 1555 से 1562 तक, 1576 से 1579 तक, 1599 से 1622 तक, 1644 से 1645 तक, 1655 से 1662 तक, 2907 / 1528	15669 बीघा 07 बिस्वा
8.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	तुर्कों की बस्ती	—	29 से 228 तक, 305 से 312 तक 318 से 548 तक, 697 से 705 716 से 757 तक, 764 से 765 तक, 769, 775, 777, 778, 789, 792, 793	63340 बीघा 3 बिस्वा
9.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	जैसलमेर	जैसलमेर	मंगलिया वास (ग्राम तुर्कों की बस्ती से नवसृजित)	—	1 से 28 तक, 229 से 304 तक, 313 से 317 तक, 549 से 696 तक, 706 से 715 तक, 758 से 763 तक, 766 से 768 तक, 770 से 774 तक, 776, 779, 780, 781 से 788 तक, 790, 791	29672 बीघा 17 बिस्वा

राज्यपाल के आदेश से

(राकेश राजेश्वरी)

शासन उप सचिव

राजस्व (वक्फ) विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर पांच प्रतियां उपलब्ध करवाने का श्रम करें ।
- 2 आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक प-6(4)समु/द/2007/1764 दिनांक 17.06.2014 एवं क्रमांक 3200 दिनांक 15.09.2014 के क्रम में भेजकर लेख है कि सभी सम्बन्धित को प्रति भिजवा कर इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे ।
- 3 जिला कलक्टर जैसलमेर को भेज कर लेख है कि सभी सम्बन्धित को प्रति भिजवाकर इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें ।
- 4 अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता इ.ग.न.प. जैसलमेर को भेजकर लेख है कि सभी संबंधित को प्रति भिजवाकर इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें ।
- 5 तहसीलदार उपनिवेशन जैसलमेर 1 जिला जैसलमेर का भेजकर लेख है कि प्राप्ति सूचना शीघ्र भिजवायें ।
- 6 रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

राजस्व (वक्फ) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर